

दिनांक
दिनांक

दस्तावेज का वर्णन

पत्रावली

05
2024

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को सम्मन मरा नकल जारी किये जाकर पत्रावली वास्ते नोटिस तामील दिनांक 18/05/2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

16/05
24

पत्रावली पेश हुई P.O. रावतभाटा
रा.म. नं. 24 में स्थित होने से
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
22/05/24 को पेश की जावे

P.O.
रावतभाटा

22/05
24

पत्रावली पेश हुई प्राथमिक कार्य द्वारा
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
30/5/2024 को पेश की जावे

P.O.
रावतभाटा

30/05
2024

पत्रावली पेश हुई अभिजात राज सेंस प्रकाश
कमलिका नं. 2-4 गिजाल न्यायसे
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
10/06/24 को पेश की जावे

P.O.
रावतभाटा

10/6
2024

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान् उपस्थित
पेशेदार सरकार ने न्यायालय में उपस्थित हो
जावाब प्रस्तुत करने से इन्कार कर पत्रावली में
No-objection प्रस्तुत किया। वकील प्राथी ने आज
ही कदम करने का निवेदन कर पाठ पत्र प्यारा
128 पर कदम अंतिम समाप्त। पत्रावली का

10/6/24



Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

शिवकुमार शर्मा

बनाम

तहसीलदार रावतभाटा

किस्म मुकदमा

प्रां. पत्र

नं०

२५

सन्

२०२५

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इसमें
जारी हुए

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पत्रावली में शामिल दरतावेजों का गहनता से डावलोजम किया गया व मनन किया गया वकील प्राची द्वारा बहस के दौरान की गई दलीलों से हम संतुष्ट हैं। प्राची का प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा-128 का ब्याज पल्पर् गरी का स्वीकार योग्य पाया जाता है अतः वकील प्राची का प्रा. पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाता है प्रा. पत्र धारा-128 का निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुले न्यायालय की इजलास में सुनाया गया पत्रावली फौसल शुमार हो वज रजिस्टर-२२ से कम किया जाकर शामिल करवाए है।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)